

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.11.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 01.11.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01-उप निर्वाचन-2020 के दृष्टीगत कच्ची शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, 10 लीटर कच्ची शराब व देशी शराब बरामद करते हुए हजारों लीटर लहन नष्ट।

पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, विक्रय एवं संलिप्त व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.11.2020 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री शिष्यपाल के निर्देशन एवं समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए संभावित स्थानों पर दबिस व चेकिंग करते हुए कुल 01 व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके कब्जे से कुल 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया एवं लगभग 100 लीटर लहन नष्ट किया गया। उक्त अभियान अभी जारी है।

05. थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 01.11.2020 को थानाध्यक्ष खुखुन्दू के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर सेंट कैथरीन स्कूल शेरवा शिव मन्दिर के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.दीपक चौहान पुत्र रामदयाल सा0 सेरवा बभनौली थाना खुखुन्दू देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध देशी कट्टा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 01.11.2020 को थानाध्यक्ष गौरीबाजार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर सेन्ट्रल बैंक के पास कस्बा गौरीबाजार से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध देशी कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.प्रदीप यादव उर्फ कोईल पुत्र रामाश्रय यादव उर्फ कनाईल सा0 लुअठही थाना रूद्रपुर, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध देशी कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 01.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है:

➡ **थाना-गौरीबाजार** मु0अ0सं0-293/2020 धारा-386,120बी,506 भादवि 01.प्रदीप यादव उर्फ कोईल पुत्र रामाश्रय यादव उर्फ कनाईल सा0 लुअठही थाना रूद्रपुर, देवरिया 02.मटेलु उर्फ रण विजय सिंह पुत्र स्व0 परमहंस सिंह सा0 इन्दूपुर थाना गौरीबाजार, देवरिया।

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 01.11.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 12 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 01.11.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 165 वाहनों से 159900 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

